उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-46/2022/एस-2-।/251257/दस-2022-174/2022

लखनऊ :: दिनाँक: 21 दिसम्बर, 2022

<u>कार्यालय-आदेश</u>

उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-'ख' के अधिकारी श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी, वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ को उनके अपने कार्य के साथ-साथ सहायक निबन्धक, फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स, आजमगढ मण्डल, आजमगढ़ के पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी अतिरिक्त वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

2- श्री त्रिपाठी को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पदों का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संजीव सिंह

विशेष सचिव।

<u>संख्या-46/2022/एस-2-।/251257(1)/दस-2022, तददिनाँक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ।

2- रजिस्ट्रार, फर्म सोसाइटीज एवं चिटस, लखनऊ।

3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़।

5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0, प्रयागराज।

6- संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, कोषागार।

7- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय प्रताप सिंह)

उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।